

वित्तीय वर्ष 2022-23 में आगामी तीन वर्षों के लिये सी0सी0टी0भी0 कैमरा का अधिष्ठापन,संचालन,रख-रखाव एवं 24 घंटा रिकॉर्डिंग हेतु निविदा की विवरणी एवं शर्तः:-


(क) तकनिकी निविदा :- इसके तहत निविदादाता को निम्न कागजात संलग्न करना होगा।

1. निविदादाता फर्म/एजेन्सी का निबंधन प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
2. निविदादाता का GST निबंधन प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
3. निविदादाता का पैन कार्ड एवं विगत तीन वित्तीय वर्षों (2018-19,2019-20 एवं 2020-21) का आयकर रिटर्न की छाया प्रति।
4. निविदादाता का सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों (बिहार सरकार से संबंधता प्राप्त) में सी0सी0टी0भी0 कैमरा संचालन संबंधी परफारमेंस प्रमाण पत्र संबंधित संस्थान द्वारा निर्गत।
5. निविदादाता को अग्रधन के रूप में 100,000.00 (एक लाख) रू0 मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो प्राचार्य,नालन्दा मेडिकल कालेज,पटना के पदनाम से भुगतेय संलग्न करना होगा।
6. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं रहने का शपथ पत्र की मुल प्रति।
7. निविदादाता को अधिष्ठापित किये जाने वाले कैमरा का स्पेशिफिकेशन अंकित करना होगा एवं कैमरा का कैंटलॉग भी संलग्न करना होगा। कैमरा I.P. Based होना चाहिए।

(ख) वित्तीय निविदा :- इसके तहत प्रति कैमरा प्रति माह का टैक्स रहित दर अंकित करना होगा तथा उस पर चार्ज किये जाने वाले सभी प्रकार के कर का उल्लेख अलग से अंकित करना होगा।

निविदा की शर्तः:-

1. निविदा का तकनिकी मूल्यांकन किया जायगा।निविदा के तकनिकी मूल्यांकन में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोली जायगी।
2. आदेशित निविदादाता को अधोहस्ताक्षरी से स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेन्ट करना होगा।
3. आदेशित निविदादाता को कुल एग्रीमेन्ट राशि का 10 प्रतिशत राशि का परफरमेंस गारंटी के रूप में बैंक गारंटी प्रस्तुत करना होगा।
4. आदेशित निविदादाता को 24 घंटा सी0सी0टी0भी0 कैमरा का संचालन एवं रिकॉर्डिंग कराना होगा।इसके लिये उन्हें ऑपरेटर की सेवा देना होगा।
5. कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसकी जानकारी तुरन्त प्राचार्य कार्यालय को फुटेज के साथ देना होगा।
6. सी0सी0टी0भी0 कैमरा का फुटेज कम से कम 10 (दस) दिन तक सुरक्षित रखना होगा।
7. कैमरों की संख्या घटायी-बढायी जा सकती है।
8. इस कार्य के लिये स्थान एवं बिजली कालेज प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जायगा।
9. किसी/सभी निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी/कय समिति को सुरक्षित रहेगा।
10. आवंटन की उपलब्धता के आधार विपत्र का भुगतान किया जायगा।आवंटन उपलब्ध नहीं रहने पर भुगतान में विलम्ब हो सकता है।विलम्ब के लिये कोई सुद-ब्याज देय नहीं होगा।
11. निविदा के सभी पृष्ठों को पृष्ठांकित करते हुए उसका विस्तृत उल्लेख अग्रसरण पत्र पर करना होगा।


प्राचार्य

नालन्दा मेडिकल कालेज पटना।

17.06.22

17/06/22